न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 827 सन 2019
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र धन्नाराम जाति गुसाई निवासी ललानाबास जैतासरी हाल डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र धन्नाराम जाति गुसाई निवासी ललानाबास जैतासरी हाल डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 27/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ललानाबस जैतासरी के खाता संख्या 42/40 के खसरा न0 27/1 की 1.1380हैक 30/5.1210हैक 227/1.6810हैक कुल 7.9400हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 330 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी के हिस्से तो सही तोर से दर्ज कर दिये किन्तु वादी के पिता का नाम देवीलाल के स्थान पर देबुराम दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का नाम देवीलाल है देवीलाल एवं देबुराम एक ही व्यक्ति है वादी अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

वादी के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी के पिता का नाम देवीलाल दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम देबुराम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललानाबस जैतासरी के खाता संख्या 42/40 के खसरा न0 27/1 की 1.1380हैक 30/5.1210हैक 227/1.6810हैक कुल 7.9400हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 330 हिस्सा में वादी के पिता का नाम देबुराम के स्थान पर देवीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी रोही मौजा ललानाबस जैतासरी के खाता संख्या 42/40 के खसरा न0 27/1 की 1.1380हैक 30/5.1210हैक 227/1.6810हैक कुल 7.9400हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 330 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के नाम वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी के हिस्से तो सही तोर से दर्ज कर दिये किन्तु वादी के पिता का नाम देवीलाल के स्थान पर देबुराम दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का नाम देवीलाल है देवीलाल एवं देबुराम एक ही व्यक्ति है वादी अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

वादी के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , सभी में वादी के पिता का नाम देवीलाल दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम देबुराम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पानें की अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की वहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा ललानाबस जैतासरी के खाता संख्या 42/40 के खसरा न0 27/1 की 1.1380हैक 30/5.1210हैक 227/1.6810हैक कुल 7.9400हैक भूमि में वादी का 330 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम देबुराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय देवीलाल के स्थान पर देवुराम दर्ज किया गया है सही नाम देवीलाल है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, वैक पास बुक , सभी में वादी का नाम देवीलाल पुत्र धन्नाराम दर्ज है। देवीलाल वं देवुराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम देवीलाल है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्वध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है वल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबस जैतासरी के खाता संख्या 42/40 के खसरा न0 27/1 की 1.1380हैक खसरा न0 30/5.1210हैक खसरा न0 227/1.6810हैक कुल 7.9400हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो का 330 हिस्सा भूमि वादी का नाम देबुराम पुत्र धन्नाराम दर्ज है के स्थान पर देवीलाल उर्फ देवुराम पुत्र धन्नाराम संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र धन्नाराम जाति गुसाई निवासी ललानाबास जैतासरी हाल डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अमीलाल पुत्र धन्नाराम जाति गुसाई निवासी ललानाबास जैतासरी हाल डवली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 827 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबस जैतासरी के खाता संख्या 42/40 के खसरा न0 27/1 की 1.1380हैक खसरा न0 30/5.1210हैक खसरा न0 227/1.6810हैक कुल 7.9400हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या-1 दोनो का 330 हिस्सा भूमि में वादी का नाम देबुराम पुत्र धन्नाराम दर्ज है के स्थान पर देवीलाल उर्फ देबुराम पुत्र धन्नाराम संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

ण्पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/7/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner